

सरकार के निर्देश के अनुसार अस्पतालों के मुख्य प्रवेश द्वार, ओपीडी और बिलिंग काउंटर जैसे प्रमुख स्थानों पर हिंदात्मक प्रावधानों की जानकारी देना और अंग्रेजी में बड़े अक्षरों वाले बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अस्पतालों में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रत्येक मरीज के साथ अधिकतम 1-2 परिजनों को ही डिजिटल पास जारी करने की व्यवस्था लागू करने को कहा गया है. द्यूटी के दौरान किसी स्वास्थ्यकर्मी के साथ हिंसा की घटना होने पर अस्पताल प्रभूत को अधिकतम 6 घंटे भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं.